भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 88

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर कानून

88. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कानून में संदर्शी प्रभाव से संशोधन किया है तथा कंपनियों के पास संग्रहित सीएसआर निधि को अपनी पसंद की परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए जुलाई 2024 तक का समय है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसद ने एक कानून पारित किया है जिसके अनुसार जिस सीएसआर आबंटन को खर्च नहीं किया गया उसे सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निधि में अन्तरण करना पड़ेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का समुचित अप्रयुक्त सीएसआर निधि का उपयोग कल्याणकारी कार्यक्रमों में करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 5000 से अधिक कंपनियों को उनके अनिवार्य सीएसआर दायित्व में चूक करने के कारण, कारण बताओ नोटिस भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उक्त कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या सरकार व सीएसआर चूककर्ताओं पर कोई कानूनी कार्रवाई करने या जुर्माना लगाने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से धारा 135(5) में संशोधन किया गया है और धारा 135(6) को अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी अपनी सीएसआर व्यय करने की बाध्यता को पूरा करने में असफल रहती है और

यदि वह कोई चालू परियोजना है, तो व्यय नहीं की गई राशि संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से 30 दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में कंपनी द्वारा खोले गए खाते में *"व्यय नहीं की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि"* के नाम से एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। कोई राशि उस खाते में विशेष खाते में तीन वर्ष की अवधि के बाद व्यय नहीं की जाती है तो वह राशि उस तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इस अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट कोष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। चालू परियोजनाओं के मामलों को छोड़कर व्यय नहीं की गई राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से छह माह के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट कोष में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(ग): व्यय नहीं की गई सीएसआर राशि, यदि कोई है तो, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधीन सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रयोग में ली जाएगी।

(घ) से (च): संपूर्ण सीएसआर संरचना प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अध्यादेशित कंपनियों के लिए वार्षिक रूप से एमसीए-21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। यदि सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की कोई सूचना प्राप्त होती है तो अभिलेखों की उचित रूप से जांच के बाद कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन पर सूचना हेतु 5382 कंपनियों को पत्र जारी किए थे।

******